न्यायालय सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 07 / 2024 जीसीएमएस नम्बर 2018 / 00005

अनवान

1. नरींगाराम पुत्र थानाराम जाति रेबारी निवासी सरनाउ तहसील सांचौर जिला जालोर।

वादी...............

1. गणेशा वल्द लच्छा।
2. महादेवा वल्द लच्छा जातियान रेबारी निवासीगण सरनाउ तहसील सांचोर जिला जालोर।
3. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचोर जिला जालोर (राज०)

प्रतिवादीगण......

दावा बाबत बंटवाडा एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया।
2. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह।

–:निर्णय:–

दिनांक:– 08.10.2025

1. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में दिनांक 19.02.2018 को सरहद मौजा सरनाउ पटवार मण्डल सरनाउ के खेत खसरा नम्बर 574 रकबा 5.13 हैक्टेयर में वादी के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से अंश व कब्जे के अनुसार एवं वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श अ के मध्यनजर रखते हुए भूमि का बंटवाड़ा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार बंटवाडा किये जाने की प्राथमिक डिक्री के आदेश जारी किये गए थे। तथा तहसीलदार सांचौर से पत्रांक / कोर्ट / 2024 / 284 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार सांचौर द्वारा निर्णय की पालना में मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 335 दिनांक 06.08.2025 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:56 IST
Reason: SelfAttested

2. तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव [illegible] उपस्थित पक्षकारान को पढकर सुनाया गया । उभय पक्षकारान के अधिवक्ता को सुनाया गया, [illegible] द्वारा किसी प्रकार की विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं करते हुए विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया गया। अतः तहसीलदार सांचौर से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना उचित प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	नरींगाराम पुत्र थानाराम जाति रेबारी साकिन सरनाउ देह खातेदार।	574	5.13	1.29	बारानी दोयम	लाल	2.58
2.	ओखी देवी, गणेशा, पारु देवी, महादेवा, हुआ देवी, हिरो देवी पिता लच्छाराम कौम रेबारी साकिन सरनाउ देह खातेदार।	574	5.13	3.84	बारानी दोयम	काला	7.68

1. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रमोदकुमार)
सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर सांचौर जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

अनवान

1. नरींगाराम पुत्र थानाराम जाति रेबारी निवासी सरनाउ तहसील सांचौर जिला जालोर।

वादी................

1. गणेशा वल्द लच्छा।
2. महादेवा वल्द लच्छा जातियान रेबारी निवासीगण सरनाउ तहसील सांचोर जिला जालोर।
3. राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार सांचोर जिला जालोर (राज०)

प्रतिवादीगण......

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 07/2018

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री इब्राहित शाह जुनेजा। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार सांचौर द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसर नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	नरींगाराम पुत्र थानाराम जाति रेबारी साकिन सरनाउ देह खातेदार।	574	5.13	1.29	बारानी दोयम	लाल	2.58
2.	ओखी देवी, गणेशा, पारु देवी, महादेवा, हुआ देवी, हिरो देवी पिता लच्छाराम कौम रेबारी साकिन सरनाउ देह खातेदार।	574	5.13	3.84	बारानी दोयम	काला	7.68

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के बीच [illegible] खाते खोलकर एवं मीमोया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार [illegible] के प्रति आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08.10.2025 को जारी की गई

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलेक्टर सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:56 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा नम्बर 07/2018
नरींगाराम बनाम गणेशा
निर्णय तारीख 08.10.2025

मुददई	रूपया	पैसा	मुददयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	1	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	2	00	मौजाना	4	00

सहायक कलेक्टर सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 12:10:56 IST
Reason: SelfAttested